न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या–94 / 2008–09

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 कृपाल सिंह एवं अन्य

–बनाम–

श्रीमती शीला देवी आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री आर0के0 रोहिला।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री अरूण सक्सेना।

बावत
मौजा जीवनगढ़, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपील संख्या--14 वर्ष 2007 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम कृपाल सिंह बनाम श्रीमती शीला देवी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 30–03--2009 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत पंजीकृत वसीयत के आधार पर श्रीमती शीला देवी ने तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में दाखिल खारिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, विकासनगर ने कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर वादग्रस्त भूमि से वसीयतकर्ता का नाम खारिज कर वसीयतग्रहिता श्रीमती शीला देवी एवं श्रीमती बाला देवी का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिनांक 16–10–2003 पारित किए गए। इस आदेश के पुनर्स्थापन हेतु निगरानीकर्ता कृपाल सिंह ने दिनांक 26--06–2006 को तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उसके पिता चन्दूराम एवं चाचा सुगनचन्द वादग्रस्त भूमि के मालिक व काबिज थे और उनका देहान्त हो गया है। उसके चाचा अविवाहित थे तथा उनका वारिस स्वंय कृपाल सिंह है और प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। वसीयत कूटरचित है एवं वसीयत पर मृतक चन्दूराम के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये हैं। जिसे तहसीलदार, विकासनगर ने पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात अपने निर्णयादेश दिनांक 23–05–2007 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता कृपाल सिंह ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की। उभयपक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने निर्णयादेश दिनांक 30--03–2009 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता के तर्क सुने गये तथा अधिवक्ता उत्तरदाता की लिखित बहस एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 चन्दु लाल एवं चाचा सुगनचन्द पुत्रगण छोटे लाल वादग्रस्त भूमि के मालिक व काबिज थे। निगरानीकर्ता के पिता व चाचा का देहान्त हो गया और वे मृत्यु से पूर्व निगरानीकर्ता के पास निवास करते थे। निगरानीकर्ता के चाचा अविवाहित थे तथा उनका वारिस निगरानीकर्ता है और उसके हक में वसीयत अंकित की हुई है। निगरानीकर्ता अपने पिता व चाचा की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर काबिज हुआ और वादग्रस्त भूमि पर दुकानों का निर्माण भी किया हुआ है। निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आदेश का ज्ञान उत्तरदातागण द्वारा मौके पर जाकर आदेश के दिखाने से हुआ। निगरानीकर्ता ने 24–07–2006 को मूल पत्रावली का मुआयना कराया गया तो निगरानीकर्ता को आदेश दिनांक 16–10–2003 का ज्ञान हुआ। निगरानीकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष इस वाद के पुनर्स्थापन हेतु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–05–2007 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व कलेक्टर के समक्ष अपील योजित की गई जो आदेश दिनांक 30–03–2009 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अविवेकपूर्ण एवं कल्पना पर आधारित है जो गुणदोष पर आधारित नहीं है। मूल वाद में नियमानुसार घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें राजस्व न्यायालय नियमावली के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता मृतक चन्दुलाल का एकमात्र पुत्र व उत्तराधिकारी है तथा अपने चाचा स्व0 सुगनचन्द का भी कानूनी वारिस है। निगरानीकर्ता को इश्तहार तामील नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 374 से 377 में उल्लिखित प्राविधानों का एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा–197 के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है। मूल वाद में वसीयत के गवाहों के बयान एकपक्षीय रूप से दर्ज कराये गये तथा बयान अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की निगरानी में नहीं लिखे गये हैं और न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें सत्यापित किया गया है जिस कारण दर्ज बयान साक्ष्य में पठनीय नहीं हैं। मूल वाद में निगरानीकर्ता को सूचना न होने के कारण वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका ओर न ही गवाहों से जिरह कर पाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय वसीयत पंजीकृत होने के कारण उसको सिद्व मानकर कानूनी त्रुटि की गई है। मूल वाद की गवाही में यह नहीं दर्शाया गया है कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण द्वारा किस दिनांक व वर्ष से कब्जा प्राप्त किया गया। प्रत्यथीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत फजी एवं कूटरचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग नहीं किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने 1982 आर0डी0 241(एफ0बी0), 1996(87) आर0डी0 25, 1996(87) आर0डी0 504(एफ0बी0), 1982

आर0डी0 1999, 2001(92) आर0डी0 34, 2001(91) आर0डी0 356, 2003(94) आर0डी0 372, 2005 यू0ए0डी0 811, 2006(3) यू0सी0 1442, 2003(94) आर0डी0 751 एवं 2010(81) ए0एल0आर0 767 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता उत्तरदातागण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि मूलरूप से चन्दूराम व सुगन चन्द पुत्रगण छोटेलाल की थी। सुगन चन्द की अविवाहित दशा में मृत्यु हो गई जबकि चन्दू राम की दो सन्ताने/पुत्रियां उत्तरदात्री श्रीमती शीला देवी व बाला देवी हैं जो कि चन्दू राम व सुगन चन्द की विधिक वारिसान हैं। सुगन चन्द व चन्दू राम द्वारा अपने जीवन काल में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 12–06–95 को निष्पादित व पंजीकृत करायी गई जिसमें चन्दू राम व सुगन चन्द ने अपनी दोनों पुत्रियों को प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया तथा चन्दू राम के सगे साले गंगाराम के पुत्र कृपाल सिंह को अपनी आबादी दी। चन्दू राम व सुगन चन्द की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तरदात्रीगण ने प्रश्नगत संक्रमणीय भूमिधरी पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के लिए धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम का वाद संख्या–1730/2003 शीला देवी आदि बनाम चन्दू राम आदि तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष योजित किया जिसमें नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया व कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एवं वसीयत विधिवत सिद्व हो जाने पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर दिनांक 16–10–2003 को नामान्तरण वाद स्वीकार करते हुए उत्तरदात्रीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया। कृपाल सिंह गंगाराम का पुत्र है, चन्दू राम का नहीं तथा चन्दू राम रिश्ते में कृपाल सिंह का फूफा लगता है और बदनीयती से सम्पत्ति हड़पने के लिए स्वंय को चन्दू राम का पुत्र बताते हुए तहसीलदार के समक्ष धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे गुणदोष पर सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 23–05–2007 से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस विवेचना सहित निरस्त किया गया कि कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25–07–2006 एवं धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्पष्ट एवं पर्याप्त आधार न होने के कारण निरस्त किया गया। अधिवक्ता उत्तरदाता ने तर्क दिया कि धारा–201 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई नामान्तरण वाद किसी पक्षकार के विरूद्व धारा–200 के अन्तर्गत एकपक्षीय निर्णीत हो जाता है तो ऐसे पक्षकार को धारा–201 के तहत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है बशर्ते ऐसा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र आदेश के 15 दिन के अन्दर दिया गया है तथा उसमें पूर्व में निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के विषय में पर्याप्त आधार दर्शाया गया हो। प्रश्नगत प्रकरण नामान्तरण से सम्बन्धित है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने का प्राविधान है किसी को विपक्षी नहीं बनाया जाता है। इश्तहार जारी होने के उपरान्त कृपाल सिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए वह वाद में पक्षकार नहीं है और उसे धारा–201 के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देने का भी

अधिकार नहीं है। कृपाल सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं था इसलिए कृपाल सिंह को पृथक से कोई नोटिस प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के पोषणीय न होने के सम्बन्ध में एक वैधानिक आधार यह भी है कि चूँकि कृपाल सिंह मृतक चन्दू राम व सुगन चन्द का विधिक वारिस धारा–171 से धारा–175 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है, इसलिए भी कृपाल सिंह के हित प्रभावित नहीं हैं और वह क्षुब्ध व्यक्ति की श्रेणी में नही आता है इसलिए भी कृपाल सिंह को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता कृपाल सिंह द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 26–06–2006 को मूल आदेश दिनांक 16–10–2003 के लगभग 02 वर्ष 10 माह बाद प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता के मूल वाद में प्रस्तुत शपथ पत्र कागज संख्या–21/4 दिनांक 25–07–2006 जिसके पैरा–6 में दिनांक 24–07–2006 को पत्रावली का मुआयना कराया तो कृपाल सिंह को आदेश दिनांक 16–10–2003 का ज्ञान हुआ। इसी शपथ पत्र के पैरा–8 में शपथकर्ता ने स्वंय को चन्दूराम का एकमात्र पुत्र व उत्तराधिकारी होना कहा है। पत्रावली निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही कृपाल सिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्रावली का निरीक्षण दिनांक 24–07–2006 को किया गया। शपथ पत्र में मुआयना कराया गया दर्शाया गया है परन्तु किस व्यक्ति से कराया गया यह नहीं लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा–8 में कृपाल सिंह ने स्वंय को मृतक चन्दू राम का पुत्र होना कहा है, इस सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज सूची दिनांक 21–11–2007 के कम संख्या–1 से 5 में दाखिल वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र एवं समझौता पत्र तथा आदेश/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता कृपाल सिंह गंगाराम का पुत्र है व गंगाराम के कुल पांच पुत्र थे। कृपाल सिंह ने अपने चार अन्य भाईयों जो गंगाराम के पुत्रगण हैं के विरूद्व बंटवारे का वाद ग्राम जीवनगढ़ के अन्य खाते की भूमि के सम्बन्ध में योजित किया गया जो कि गंगाराम से विरासत में प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में। उक्त बंटवारे का वाद वर्ष 1980 का है। एक अन्य बंटवारे का वाद जो कि साधुराम ने गंगाराम के पांच पुत्रों के विरूद्व योजित किया वह वर्ष 1979 का है और इसमें भी कृपाल सिंह पक्षकार है और उसने स्वंय को गंगाराम का पुत्र बताते हुए अपना कुर्रा पृथक कराया है। ऐसी स्थिति में यह पूर्णतः सिद्व है कि कृपाल सिंह वास्तव में गंगाराम का पुत्र है, एक व्यक्ति के दो पिता नहीं हो सकते। परिवार रजिस्टर की प्रति से भी स्पष्ट है कि कृपाल सिंह चन्दू लाल के परिवार का सदस्य नहीं है। इससे सिद्व है कि कृपाल सिंह को विचारण न्यायालय के आदेश का संज्ञान पूर्व से ही था। मूल पत्रावली में अंकित गवाहों के बयानों में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रमाणन उल्लिखित नहीं हैं के सम्बन्ध में यह विधिक व्यवस्था है कि उक्त प्रमाणन आदेश 18 नियम 4 व 5 दीवानी प्रकिया संहिता में वर्णित है, किन्तु उक्त नियम आज्ञापक नहीं है वरन निर्देशात्मक है। प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालयों के

आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता उत्तरदात्रीगण ने रा0नि0सं0 1999 पृष्ठ–220 एवं आर0डी0 1998(89) पृष्ठ–13 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

इस प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि उत्तरदात्रीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मृतक चन्दु लाल एवं सुगनचन्द पुत्रगण छोटे लाल द्वारा उत्तरदात्रीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 12–06–95 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 14–08–93 को प्रस्तुत किया गया। इस वाद में इश्तहार जारी होने के उपरान्त कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने के कारण तहसीलदार द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 16–10–2003 से मृतक वसीयतकर्ता चन्दूराम व सुगन चन्द पुत्रगण छोटेलाल का नाम खारिज करके उत्तरदात्रीगण का नाम वादग्रस्त भूमि पर अभिलेखों में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता कृपाल सिंह ने 26–07–2006 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वे मृतक चन्दूलाल व सुगनचन्द का एकमात्र वारिस है। निगरानीकर्ता कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के विरूद्व उत्तरदात्रीगण के मुख्तारेआम द्वारा दिनांक 11–05–2007 को आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 23–05–2007 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की जिसे विद्वान कलेक्टर ने उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त इस विवेचना सहित कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27–07–2006 को लगभग 3 साल बाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26–06–2006 अंकित की गई है जबकि उसके साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 25–07–2006 का है इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मूल वाद में पारित आदेश का संज्ञान पहले से ही हो गया कलेक्टर द्वारा अपील अपने निर्णयादेश दिनांक 30–03–2009 से निरस्त कर दी जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

नामान्तरण का प्रकरण चन्दूराम व सुगन चन्द पुत्रगण श्री छोटेलाल निवासी जीवनगढ़, तहसील विकासनगर के मृत्यु पर एवं उनके द्वारा दिनांक 12–06–95 को उत्तरदातागण एवं निगरानीकर्ता के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रस्तुत हुआ। यह निर्विवादित है कि मूल नामान्तरण कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चली। वसीयत की पुष्टि हेतु वसीयत के लेखक श्री बी0डी0 सैनी, अधिवक्ता ने अपने मौखिक साक्ष्य अंकित करवाया है जिसपर एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ। दूसरा साक्ष्य श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री इन्द्र सिंह का अंकित करवाया गया है। एक आश्चर्यचकित करने

वाला तथ्य यह है कि उक्त मौखिक साक्ष्यों के प्रथम पृष्ठों पर साक्ष्यांकन की तिथि 21–08–2003 अंकित है जबकि नामान्तरण न्यायालय की पत्रावली में तीन तिथियों के आदेश पत्रों कमशः 14–08–2003, 08–09–2003 एवं 16–10–2003 में से कोई भी तिथि इससे मेल नहीं खाती है। साक्ष्यांकन हेतु निर्धारित तिथि 08–09–2003 थी। इस तिथि पर साक्ष्यांकन किए जाने का उल्लेख किया गया है। जैसा कि पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि साक्ष्यांकन की तिथि 21–08–2003 अंकित है। इस प्रकार वसीयत की पुष्टि हेतु मौखिक साक्ष्य का अंकन अत्यन्त संदिग्ध है। जिस हस्तलिपि में साक्ष्यांकन हुआ है वह न तो साक्षीगणों की है और न ही आदेश पत्र लिखने वाले न्यायालय कर्मी की क्योंकि आदेश पत्र की हस्तलिपि से साक्ष्यांकन की लिपि भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथित मौखिक साक्ष्यांकन अन्यत्र हुआ है। ऊपर से उक्त साक्ष्यांकन के सम्बन्ध में आदेश–18 नियम–4 व 5 सिविल प्रकिया संहिता के प्राविधानों का कोई पालन नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता उत्तरदात्रीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह कहा गया है कि साक्ष्यांकन प्रमाणित होना आवश्यक है परन्तु यह विधान आज्ञापक न होकर निर्देशात्मक है लेकिन वर्णित स्थिति में मौखिक साक्ष्यांकन ही संदिग्ध है।

जिस तिथि को वसीयत की गई उस समय वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं था परन्तु वसीयत पंजीकृत है। वसीयत पंजीकृत होने का आशय यह कदापि नहीं है कि वसीयत की विधितः पुष्टि होना आवश्यक न हो। वसीयतकर्ता की मनस्थिति, परिस्थिति एवं उसकी वसीयत करने की इच्छा को साक्ष्य द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। वर्तमान प्रकरण में वसीयत करने के उक्त अवयव को स्पष्ट नहीं किया गया है।

निगरानीकर्ता कृपाल सिंह की परिस्थिति (locus standi) को लेकर विद्वान अधिवक्ता उत्तरदात्रीगण ने अपने लिखित तर्कों में सविस्तार वर्णन किया है। प्रश्नगत वसीयत जिसमें उत्तरदात्रीगण/प्रार्थीगण विश्वास व्यक्त करते हैं उसकी प्रतिलिपि में ही स्पष्ट है कि कृपाल सिंह को चन्दूराम का पुत्र दर्शाया गया है एवं उसे प्रश्नगत वसीयत से ही वसीयतकर्तागण द्वारा अपनी सम्पत्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रदान किया है। प्रश्न यह उठता है कि उत्तरदातागण/प्रार्थिनीगण वसीयत को सम्पूर्णता से मानते हैं अथवा आंशिक। निगरानीकर्ता कृपाल सिंह की परिस्थिति को सविस्तार से गौर किए बिना भी प्रथमदृष्टया उसके नामान्तरण के प्रकरण में हितबद्व पक्ष होने का अभिलेख स्वंय प्रश्नगत वसीयत है। तद्नुसार उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निर्मूल है कि कृपाल सिंह का इस प्रकरण में locus standi नहीं है अथवा rank outsider है।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि मूल वाद में उद्घोषणा पत्र नियमानुसार जारी नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कतिपय न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि कैसे उद्घोषणा पत्र नियमानुसार जारी नहीं किया गया है।

अगला बिन्दु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार न किये जाने विषयक है। इस सम्बन्ध में असंख्य न्यायिक दृष्टान्त हैं। उद्धरित न्यायिक सिद्वान्तों में से कई न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि तकनीकि एवं कठोर दृष्टिकोण न अपनाये जाने तथा सारवान न्यायहित में पुनर्स्थापन में किसी हितबद्व पक्ष के कोई हानि न होने की व्यवस्था दी गई है। दूसरी ओर ऐसी भी न्यायिक व्यवस्थायें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं कि विलम्ब क्षमा करने हेतु पर्याप्त आधार होने चाहिए।

मेरा यह मानना है कि इस बिन्दु पर वस्तुनिष्ठता आवश्यक है एवं सारवान न्यायहित में कठोर एवं तकनीकि दृष्टिकोण न अपनाकर पुनर्स्थापन स्वीकार कर लेना चाहिए था। यद्यपि दोनों न्यायालयों ने पुनर्स्थापन स्वीकार न करने के कारण उल्लिखित किए हैं तथापि सारवान न्याय हेतु में पुनर्स्थापन अनुमन्य किया जाना चाहिए था।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालयों के आदेश दिनांक 16–10–2003 एवं 23–05–2007 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, विकासनगर को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरण वाद का उपरोक्त विवेचना के आलोक में गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक **29–09–2014** को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **08–09–2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।